सूचना सुरक्षा आडिट
के लिए

प्रस्ताव आमंत्रण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003
फोन : 011 - 24649432
ई-मेल : rkpandey@nhb.org.in

नोट : तकनीकी बोलियां उन बोलीकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपस्थित होना चाहते हैं ।

बोलियों का ब्योरा		
1.	बोली दस्तावेज बिक्री शुरूहोने की तारीख	19/09/2011
2.	बोली दस्तावेज बिक्री की अंतिम तारीख एवं समय	14/10/2011 17.00 बजे
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त होने की अंतिम तारीख एवं समय	14/10/2011 17.00 बजे
4.	तकनीकी बोलियां खोलने की तारीख एवं समय	17/10/2011 12.00 बजे
5.	बोली-पूर्व बैठक	30/09/2011 12.00 बजे
6.	आरएफपी का मूल्य	रुपये 5,000/- (अप्रतिदेय)
7.	बयाना जमा राशि	रुपये 50,000/-
8.	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,मुख्य कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड नई दिल्ली - 110 003

विषय-वस्तु तालिका

विषय	पृष्ठ सं.
1. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में	4
2. प्रयोजन	4
3. बोलीदाताओं को निर्देश	5
3.1 बोली-पूर्व बैठक	6
3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी	6
3.3 बोली की भाषा	7
3.4 बंद वाणिज्यिक बोली	7
3.5 बोली का मूल्य	7
3.6 बोली संबंधी दस्तावेज	7
3.7 बोली संबंधी दस्तावेजों में संशोधन	7
3.8 वैधता अवधि	8
3.9 बोली मुद्रा	8
3.10 बोलियां प्रस्तुत करना	8
3.11 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा समय	9
3.12 बिलम्ब से प्राप्त बोलियां	9
3.13 संशोधन और/या बोलियों की वापसी	9
3.14 प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की विषय वस्तु	9
3.15 बोली की बयाना राशि और आरएफपी का मूल्य	10
4. कार्य का दायरा	10
5. संविदा की अवधि	18
6. आडिट अनुसूची	18
7. जुर्माना धारा	18
8. बिडिंग प्रक्रिया	19
9. भुगतान अनुसूची	19
10. बोली खोलना और मूल्यांकन	20
11. बोलियों का स्पष्टीकरण	24
12. प्रारम्भिक जांच	24
13. बैंक से सम्पर्क करना	24
14. किसी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक को अधिकार	24
15. संविदा पर हस्ताक्षर	25
अनुलग्न - क	26
अनुलग्न - ख	30
अनुलग्न - ग	31
अनुलग्न - घ	32

1. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ. बैंक) भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्वाधीन एक सांविधिक संगठन है । रा.आ. बैंक संसद के एक अधिनियम के तहम गठित एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य कार्य आवास वित्त क्षेत्र का संवर्धन, विकास एवं विनियमन करना है ।

आवास वित्त कंपनियों का विनियमन करने के अतिरिक्त, रा.आ. बैंक आवास वित्त कंपनियों के इक्विटी में हिस्सेदारी करके और वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सहकारी क्षेत्र के संस्थानों, आवासीय एजेंसियों आदि को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराके वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होती है ।

रा.आ. बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में और प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलूरू, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ पटना और भोपाल में स्थित हैं ।

2. प्रयोजन

- राष्ट्रीय आवास बैंक (अब के बाद इसे बैंक कहा जाएगा) जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, बैंक के सम्पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी एवं सिस्टम का सूचना सुरक्षा आडिट किसी प्रतिष्ठित आईएस आडिट फर्म से कराना चाहता है । संबंधियां क्रियाकलापों का उल्लेख कार्य-क्षेत्र पत्रक में किया गया है । सिस्टम के क्षेत्र में वृद्धि बैंक की जरूरत के अनुसार की जा सकती है ।

- आरएफपी का प्रयोजन सूचना सुरक्षा आडिट कार्य के लिए योग्य बोलीदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करना है । तकनीकी और वाणिज्यिक बोलिया (अलग-अलग प्रस्तुत की जाएं) यहां उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार उक्त कार्य के लिए बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं ।

- बशर्ते किसी कानून के विरूद्ध न हो, और जो अधिकाधिक कानून के अनुसार अनुमत्य हो,, राआबैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, संविदाकारों, एजेंटों और सलाहकार किसी व्यक्ति को काम करते हुए नुकसान या क्षति के प्रति (चाहे संभावित हो या नहीं), का कोई दायित्व न हो या काम करने से बचता हो क्योंकि कोई भी सूचना जैसे भविष्य वाणी, कथन, प्राक्कलन या इस आरएफपी दस्तावेज में निहित योजना या उससे सम्बद्ध आचरण चाहे नुकसान या क्षति किसी लापरवाही, चूक, गलती, ध्यान न देने या राआबैंक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, संविदाकार, एजेंट या सलाहकार द्वारा मिथ्या निरूपण किया गया हो।

3. बोलीदाताओं के लिये निर्देश

बोलीदाता से आशा की जाती है कि वे बिडिंग दस्तावेजों में सभी निर्देशों, फार्मों, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करें । बिडिंग दस्तावेजों में सभी वांछित सूचना उपलब्ध न होने पर बिड को रद्द कर दिया जाएगा और उसके लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा ।

- किन्हीं भी प्रतिवादियों और राआबैंक के बीच कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी जब तक अनुबंधगत करार का निष्पादन न हो जाए ।

- प्रत्येक प्रापक स्वीकार करता है कि राआबैंक पात्र वेडर/वेडरों के चयन के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेजों में उल्लिखित चयन मानदंडों को लागू करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। आरएफपी दस्तावेज ऐसे किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस दस्तावेज या किसी जांच पड़ताल या समीक्षा के फलस्वरूप पैदा हो ।

- आरएफपी के प्रत्युत्तर में राआबैंक को उत्तर देने वाले प्रापक को इस इंट्रोडक्शन एंड डिस्कलेमर की शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा ।

- प्रापकों को सूचित किया जाता है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार, नामित सम्पर्क व्यक्ति के माध्यम से निम्नलिखित को भेजें :

  सम्पर्क : आर.के. पांडे
  पदनाम : महाप्रबंधक (आईटीडी)
  ईमेल : rkpandey@nhb.org.in
  टेलीफोन : +91-11-24649432
  फैक्स : +91-11-24649432

  सम्पर्क : सौरभ शील
  पदनाम : सहायक महाप्रबंधक (आईटीडी)
  ईमेल : souravs@nhb.org.in
  टेलीफोन : +91-11-24611070
  फैक्स : +91-11-24649432

- बैंक आरएफपी बंद होने के बाद किसी भी प्रतिवादी से अपने निर्णयानुसार कोई अतिरिक्त सूचना या सामग्री की मांग कर सकता है और वह उपलब्ध कराई सूचना या सामग्री प्रतिवादी के प्रत्युत्तर का हिस्सा मानना चाहिए ।

- प्रतिवादियों को अपने सम्पर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और पूरे पते देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि जिससे आरएफपी के प्रत्युत्तर शीघ्रतापूर्वक भेजे जा सकें ।
- यदि बैंक अपने निर्णयानुसार समझता है कि प्रश्न करने वाले प्रवर्तक को प्रश्न का उत्तर देने से लाभ होगा तो बैंक सभी प्रतिवादियों को उसका उत्तर प्रेषित करने का अधिकार रखता है ।
- कोई जानकारी/प्रश्न करने के लिये, यदि हो, उक्त उल्लिखित व्यक्तियों से बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार, अवकाश छोड़कर) सम्पर्क कर सकते हैं ।
- बैंक, अपने पूर्ण निर्णयानुसार, आरएफपी बंद होने के बाद किसी सुधार या स्पष्टीकरण के लिये वार्तालाप में किसी भी प्रतिवादी (या इसके साथ ही एक से अधिक प्रतिवादियों के साथ) को शामिल कर सकता है।
- बैंक सभी सूचीबद्ध प्रतिवादियों को उनकी आरएफपी के परिणाम के बारे में शीघ्र ही लिखित में या डाक द्वारा या वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। बैंक किसी स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को बताने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरी करने वाली बिडें अगले मूल्यांकन की पात्र होंगी और तदुपरांत दोनों न्यूनतम पात्रता मानदंड की पात्र होंगी तथा तकनीकी मूल्यांकन से वाणिज्यिक मूल्यांकन की पात्र होंगी ।

3.1 बिड-पूर्व बैठक

आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों को दूर करने के लिये राआबैंक आरएफपी में उल्लिखित दिनांक और समय पर बिड-पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न, लिखित में, उपर्युक्त पते पर 23.9.2011 तक ईमेल या डाक से पहुंच जाएं। यह ध्यान रखें कि बिड-पूर्व बैठक के बाद प्राप्त किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बिड-पूर्व बैठक में दिये जाएंगे। बोलीदाताओं जिन्होंने आरएफपी खरीदी है, के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ही बिड-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी ।

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को बिड के साथ बिड के मूल्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम नई दिल्ली में मांग ड्राफ्ट/ बैंक चेक द्वारा अप्रतिहार्य शुल्क 5,000/- रु. (केवल पांच हजार रुपये) का भुगतान करना होगा।

3.3 बिड की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बिड और बैंक द्वारा बोलीदाता के साथ किये गए सभी पत्राचार और संबंधित दस्तावेज़ और मुद्रित साहित्य अंग्रेज़ी में होगा ।

3.4 आच्छादित वाणिज्यिक बोली

वर्तमान कार्य के उददेश्य हेतु दो स्तरीय बोली प्रक्रिया की जाएगी। आरपीएफ के लिए उत्तर दो हिस्सों में प्रस्तुत की जाएगीः

- तकनीकी बोली भाग 1
- वाणिज्यिक बोली भाग 2

(विस्तृत जानकारी के लिए धारा सं. 8 देखें)

बोलीदाता को (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विहित फॉर्मेट के अनुसार) वास्तविक मूल्य बोली की प्रति तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए जो वास्तविक मूल्यों का प्राच्छादन करके राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही है । यह अनिवार्य है । बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है, यदि इसे उचित रूप से प्राच्छादन करके प्रस्तुत नहीं किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि (मूल्य के अतिरिक्त) 'आच्छादित वाणिज्यिक बोली' का फॉर्मेट/विवरण प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के फॉर्मेट/विवरण के साथ मेल नहीं खाता है ।

3.5 बोली प्रस्तुत करने पर व्यय

बोलीकर्ता बोली तैयार करने और प्रस्तुत करने पर हुआ व्यय स्वयं वहन करेगा और बैंक बोली प्रस्तुत करने से संबंधित किसी भी व्यय के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा ।

3.6 बोली संबंधी दस्तावेज

बोलीकर्ता से बिडिंग दस्तावेजों में उल्लिखित सभी अनुदेशों, फार्मों, नियम एवं शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों की जांच करने की आशा की जाती है । बिडिंग दस्तावेजों के पूरी तरह अनुरूप बिड न होने के लिए बोलीकर्ता उत्तरदायी होगा और बोलीकर्ता को कोई सूचना दिये बिना उसकी बोली निरस्त हो सकती है ।

3.7 बोली दस्तावेजों में संशोधन

बोली जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय से पूर्व किसी भी समय, बैंक, किसी भी कारण से, अपने निर्णयानुसार बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है । सभी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ।

भावी बोलीकर्ताओं को संशोधनों, यदि कोई हो, के अनुसार अपने बोली दस्तावेज तैयार करने हेतु पर्याप्त समय देने के लिए, बैंक, स्व निर्णयानुसार, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकता है ।

3.8 वैधता अवधि

बोली बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से छह माह तक वैध रहेंगी । इससे कम अवधि की वैधता वाली बोली को बैंक द्वारा अनुरूप न होने के कारण रद्द कर दिया जाएगा ।

3.9 बिड मुद्रा

मूल्य केवल भारतीय रुपये में ही दिये जाएं ।

3.10 बिड प्रस्तुत करना

बोलीकर्ता प्रत्येक लिफाफे को लाल लाख से सील बंद करके दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में बंद करेगा वह भी लाल लाख से सील बंद होगा ।

बोली इस दस्तावेज के पृष्ठ 2 पर उल्लिखित समय और तारीख तक निम्नलिखित पते पर बैंक को भेज दी जाए ।

महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
मुख्य कार्यालय, कोर 5-ए, तीसरी मंजिल
भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003

3.11 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय

बोलियां बोली दस्तावेज में उल्लिखित पते पर निर्धारित तारीख और समय तक या धारा 7 के अनुसार बैंक द्वारा वृद्धित समय तक बैंक को मिल जानी चाहिए । यदि बोलियां प्रस्तुत करने की नियत तारीख बैंक में घोषित अवकाश हो तो बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक स्वीकार की जाएंगी ।

3.12 विलम्ब से प्रस्तुत बोलियां

बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा के बाद प्राप्त बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी और/या बोलीकर्ता को बिना खुले लौटा दी जाएगी, यदि वह ऐसा चाहे ।

3.13 बोलियों में संशोधन और/या वापस लेना

- बोलियां प्रस्तुत हो जाने के बाद अंतिम समझी जाएंगी और उस पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।
- बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम समय सीमा के बाद बोली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।
- यदि बोलीकर्ता सफल बोलीदाता हुआ तो उसे बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3.14 प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों में सूचना

3.14.1 तकनीकी बिड लिफाफे में अपेक्षित दस्तावेज (सीलबंद लिफाफा)

i. अनुलग्नक 'क' के भाग-I के अनुसार बोलीकर्ता की सूचना
ii. अनुलग्नक 'क' के भाग-II के अनुसार सेवा सूचना
iii. अनुलग्नक 'क' के भाग-III के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र
iv. अनुपालन विवरणी घोषणा - अनुलग्नक 'ख'

3.14.2 वाणिज्यिक बोली लिफाफे में अपेक्षित दस्तावेज (सीलबंद लिफाफा)

i. वाणिज्यिक प्रस्ताव : प्रस्ताव अनुलग्न 'ग' में दिये वाणिज्यिक बिड फार्मेट के अनुसार होना चाहिए और उसमें सभी कुछ, एवं कर एवं अन्य सरकारी उद्ग्रहण आदि शामिल होना चाहिए ।

3.15 बिड पेशगी राशि और आरएफपी की लागत

बोलीदाताओं को बिड पेशगी राशि 50,000/- रु. (केवल पचास हजार रुपये) और आरएफपी के मूल्य 5000/- रु. (केवल पांच हजार रुपये) (अप्रतिदेय) की राशि राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम दिल्ली में देय मांग ड्राफ्ट के रूप में (सफल बोलीदाताओं को लाइव क्रियान्वयन और परियोजना साइन-ऑफ के बाद प्रतिदेय और असफल बोलीदाताओं को चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिदेय) जमा करनी होगी। ईएमडी ड्राफ्ट और आरएफपी की लागत तकनीकी बिड के साथ सीलबंद होनी चाहिए, इसके न होने पर बिड पर आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

- ईएमडी प्रतिभूति जब्त की जा सकती है :
  - यदि बोलीदाता बिड वैधता अवधि में अपनी बिड वापस लेता है ।
  - यदि बोलीदाता कोई बयान देता है या किसी रूप में संलग्न करता है जो संविदा हस्ताक्षरित होने से पहले झूंठ/गलत सिद्ध हो ।
  - सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करे ।

4. कार्य क्षेत्र

रा.आ. बैंक के अधिकांश कार्य कंप्यूटरीकृत हैं और उन्हें एकल ईआरपी प्लेटफार्म के तहत लाया गया है । बैंक के दैनिक कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टमों पर अधिकतर निर्भर रहा जाता है । इससे बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है ।

रा.आ. बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे एवं सिस्टमों की सूचना सुरक्षा आडिट कराना चाहता है जिससे मौजूदा ढांचे के रेजीडेंस की जांच, सुरक्षा के उपाय बढ़ाने और सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उपायों व मानकों को इस बीच अपनाया जा सके । सूचना सुरक्षा आडिट आईएसओ 27001 और आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुरुप की जानी चाहिए।

4.1 बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का संक्षिप्त विवरण

रा.आ. बैंक के पास इसके एमपीएलएस डब्लूएएन संरचना के तहत इसके दिल्ल्ली कार्यालय में चार लेन सेग्मेंट, मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में दो और प्रत्येक प्रतिनिधि कार्यालयों में एक-एक लेन (LAN)सेग्मेंट हैं । सभी कार्यालय एनी-टू-एनी कनेक्टिविटी से एमपीएलएस कनेक्टिवीटी द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। मुम्बई और दिल्ली कार्यालय को सेवा प्रदाता की ओर से क्रमशः 4 एमबीपीएस और 1 एमबीपीएस की बैंडवीथ साथ-साथ मौजूद हैं। सभी प्रतिनिधि कार्यालय 256 केबीपीएस से एमपीएलएस द्वारा जुड़े हैं जोकि आरएफ लिंक और आईएसडीएन लिंक द्वारा प्रदत है। इसके अतिरिक्त दो अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से एमपीएलएस द्वारा आरबीआई-एनडीएस एप्लीकेशन को चलाने के लिए राआबैंक दिल्ली में एक बेहतर लान (LAN) है । एनडीएस अप्लिकेशन के लिए मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में अगल एमपीएलएस लिंक भी उपलब्ध है।

बैंक के मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में डिसास्टर रिकवरी साइट (DRS) है जो पूरी तरह सक्रिय है । डिसास्टर रिकवरी साइट में सैप सिस्टम और फाइल सर्वर हैं । डिसास्टर रिकवरी साइट को प्रतिदिन सूचना भेजी जाती है जहां डिसास्टर रिकवरी सिस्टम में डाटा संग्रहीत होता है । डीसी और डीआर के बीच 72 घंटे का टाइम-लैग है ।

मुख्य कार्यालय नई दिल्ली

सर्वर	संख्या
1. **सर्वर** - विंडो 2000, विंडो 2003 और विंडो 2008 प्लेटफार्म पर - एसक्यूएल सर्वर/एक्सचेंज सर्वर/सैप सर्वर /सीएफआर सर्वर एवं अन्य सहित	37

पीसी	प्लेटफार्म	संख्या
1. लैन (LAN)पर क्लांइट मशीनें	विंडोज एक्सपी/विंडोज विस्टा/विंडोज 7	188
2. लैपटाप/मोबाइल कंप्यूटर	विंडोज एक्सपी/विंडोज विस्टा	85

क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

सर्वर	संख्या
1. **सर्वर**	

- विंडोज 2003 प्लेटफार्म पर	4
- एसक्यूएल सर्वर सहित	1

पीसी	प्लेटफार्म	संख्या
1. लैन (LAN)पर क्लाइंट मशीनें	विंडोज एक्सपी	4
2. स्टैंड-एलोन पीसी	विंडोज 2000	6
3. लैपटाप/मोबाइल कंप्यूटर	विंडोज एक्सपी	2

- *कृपया ध्यान दें कि रा.आ.बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है अतः उक्त सूची में कुछ संशोधन हो सकते हैं ।*

4.2 परियोजना का क्षेत्र

सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा में बैंक के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई का सूचना सुरक्षा ढांचा शामिल होगा । इसके अतिरिक्त, हैदराबाद, चेन्नै, बैंगलूरूऔर कोलकाता लखनऊ, अहमदाबाद, पटना और भोपाल में इसके प्रतिनिधि कार्यालय (3-4 और प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित होने की संभावना है) हैं जिन्हें मुख्य कार्यालय के केन्द्रीयकृत डाटासेंटर से सम्बद्ध करना होगा । सूचना सुरक्षा में इन प्रतिनिधि कार्यालयों में क्रियान्वित 'एक्सेस कंट्रोल मेकेनिज्म' भी शामिल होगा ।

सूचना सुरक्षा आडिट निम्नलिखित तीन चरणों में की जाएगीः

चरण- I - मूल्यांकन
चरण II - संचार
चरण III - समीक्षा एवं प्रमाणीकरण

प्रत्येक चरण में शामिल कार्य नीचे दिये गए हैं :

चरण- I : मूल्यांकन

1. जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा जरूरतों की पहचान

क) रा.आ. बैंक के मौजदा सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की सुरक्षा जरूरतों का मूल्यांकन करनाः

- नेटवर्क एवं प्रयोगाधीन उपकरण
- परिचालन प्रणाली - सेटअप, कान्फिगरेशंस, टयूनिंग आदि
- डाटाबेस, सिस्टम्स एवं एप्लीकेशन - सेटअप, कान्फिगरेशंस, टयूनिंग आदि

ख) सीक्योरिटी आर्किटेक्चर के मौजूदा डिजायन का मूल्यांकन

* मौजूदा सीक्योरिटी आर्किटेक्चर का मूल्यांकन करना, संशोधनों/नए डिजायनों/लेआउटों की संस्तुति करना, और सीक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्रलेखन जिससे रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और उद्योगों में प्रचलित उत्तम तकनीकों को अपनाना ।

ग) बैंक में क्रियान्वित सिस्टम का मूल्यांकन

- प्रक्रियाओं के लिए वर्तमान आपरेशनल प्रणाली और सुरक्षा नीति का मूल्यांकन जिसे कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है । इन प्रक्रियाओं के लिए आपरेशनल प्रणाली और सुरक्षा नीति के लिए संस्तुति करना तथा तैयार करना । सिस्टम के सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है जैसे बैंक में क्रियान्वित सैप (SAP), सेंट्रल फार्म रिपाजिटरी, अन्य सॉफ्टवेयर आदि ।
- सूचना स्रोत स्वामी से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर और लागू नीतियों, निर्देशों और मानकों के अनुसार एक्सेस कंट्रोल के क्रियान्वयन और अनुरक्षण का मूल्यांकन करना ।
- सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षक को बैंक के सभी विभागाध्यक्षों से सम्पर्क करके बैंक द्वारा उठाये सूचना सुरक्षा उपायों के बारे में उनके विचार जानने/जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और प्राप्त जानकारी के आधार पर कमियों (यदि कोई हो) का मूल्यांकन करना चाहिए ।

2. सुरक्षा कमियों का विवरण

- सुरक्षा कमियों का प्रलेखन जैसे संवदनशीलता, सुरक्षा में कमियां, अन्य कमियां आदि जिन्हें बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की समीक्षा के दौरान पाया गया ।
- उन सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशों का प्रलेखन और ज्ञात सुरक्षा कमियों को उनके महत्व के अनुसार श्रेणीबद्ध करना, उन्हें हटाने के लिए वांछित संसाधन/प्रयास चिन्हित करना ।
- इन सुरक्षा कमियों को पहचानने और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
- आईएसए के प्रमुख निष्कर्षों को दस्तावेजित एक प्रारंभिक रिपोर्ट इस फेज के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. सुरक्षा कमियों को चिन्हित करना

- अप्लिकेशनों/सिस्टमों जिन्हें तत्काल फिक्स किया जा सकता है, के लगाने में कमियों, गैपों, लूपहोलों, कमी वाली और संवेदनशीलताओं को निर्धारित करना और दूर करना।
- अप्लिकेशन सिस्टम और नेटवर्क इन्फ्रास्टक्चर के लिए डिजाइन या अन्यथा में सिस्टम संवेदनशीलता के लिए सिफारिश करना।
- सुरक्षा कमियों/खामियों को ओईएम के मार्फत ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर पट्टी लगाना।

- राआबैंक के नेटवर्क और अप्लिकेशन सहित सुरक्षा नीतियों और सुरक्षा संरचना में बदलाव/सुधार सुझाव ।

चरण II - संचार

4. प्रयोक्ता को प्रशिक्षण

रा.आ. बैंक के कर्मचारियों में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा से सम्बद्ध विषयों के बारे में जागरूकता लाने और विभिन्न परिचालनात्मक स्तरों (i) प्रशासनिक स्तर (ii) प्रयोक्ता स्तर एवं (iii) सूचना सुरक्षा आडिट प्रशिक्षण, पर सुरक्षा संबंधी पहलुओं का प्रशिक्षण देना ।

5. सूचना सुरक्षा आडिट निष्कर्षों की रिपोर्ट

- सूचना सुरक्षा आडिट निष्कर्षों की रिपोर्ट में जोखिम क्षेत्र जिसे उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम में बांटा जाना है, को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट में जोखिम क्षेत्र के समस्याओं को दूर करने के लिए स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाए ताकि कमियों को दूर करने में सुविधा हो ।

चरण III - समीक्षा एवं प्रमाणीकरण

6.समीक्षा

वेडर द्वारा सूचना सुरक्षा आडिट के निष्कर्षों और सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा करनी होगी । यह कार्य सूचना सुरक्षा आडिट पूरी होने के 1-2 माह बाद किया जाएगा । इस कार्य में बैंक द्वारा किये गए अनुपालन के सामान्य/समग्र स्तरों का मूल्यांकन करना शामिल होगा ।

7.सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन का प्रमाणीकरण

अनुपालन की समीक्षा करने के बाद, वेंडर उसकी पुष्टि स्वरूप एक आईएसए अनुपालन प्रमाण-पत्र देगा ।

2.3 <u>डेलीवरेबल</u>

परियोजना में छह मुख्य डेलीवरेबल हैं :

1. सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा

2. संवदनशीलताः मूल्यांकन, विशलेषण और प्रस्ताव
3. सूचना सुरक्षा आडिट रिपोर्टें
4. रा.आ.बैंक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम
6. सूचना सुरक्षा आडिट के लिए प्रमाण-पत्र देना

इनकी नीचे उप-खंडों में व्याख्या दी गई है ।

सूचना सुरक्षा आडिट

- (**किस्म- सेवाएं**)

इस परियोजना के तहत वेंडर निम्नलिखित के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगाः

- जोखिम मूल्यांकन एवं सुरक्षा जरूरतों की पहचान करना
- रा.आ.बैंक के मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे, प्रयोगाधीन नेटवर्क एवं उपकरणों, आपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस और एप्लीकेशन पैकेज, परिचालनात्मक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना
- संवेदनशीलता, सुरक्षा में खामियों और कमियों की पहचान करना
- सुरक्षा आर्किटेक्चर के मौजूदा डिजायन का मूल्यांकन, परिवर्तनों/नए डिजायनों/लेआउट के लिए सिफारिश करना, और सुरक्षा आर्किटेक्चर का प्रलेखन ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों, अन्तर्राष्ट्रीय मानको और उद्योग-वार श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाना ।
- सुरक्षा आर्किटेक्चर डिजायन में मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं अर्थात दोनों कार्यालयों के बीच इंटरकनैक्शन और रा.आ.बैंक नेटवर्क पर विभिन्न एप्लीकेशनों द्वारा प्रयुक्त इंटरफेसेज सहित
- सुरक्षा आर्किटेक्चर और रा.आ.बैंक के नेटवर्क व एप्लीकेशनों का कॉनफिगरेशन करना
- प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा आपरेशनल प्रणाली और सुरक्षा नीति जिन्हें कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, का मूल्यांकन करना । उन प्रक्रियाओं के लिए आपरेशनल प्रणाली और सुरक्षा नीति की सिफारिश करना एवं तैयार करना
- बैंक में सैप (SAP) क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना । सैप पर क्रियान्वित व्यापार प्रक्रियाओं का उनके सुरक्षा दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने की जरूरत है तथा उपयुक्त सुधारों के लिए, यदि वांछित हों, सिफारिश करना ।

संवेदनशीलता का मूल्यांकन, विश्लेषण और प्रस्ताव

* ***(प्रकृति - प्रलेखन एवं सेवा)***

इस परियोजना के तहत वेंडर मूल्यांकन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगा और कमजोरियों को दूर करेगा

कमजोरियों, सुरक्षा में कमियों आदि का प्रलेखन

एप्लीकेशंस/सिस्टमों को लगाने में कमजोरियों का निर्धारण करना, और डिजायन में या अन्य प्रकार से सिस्टम एप्लीकेशन व नेटवर्क ढांचे में फिक्सेस के लिए सिफारिश करना ।

कमियों का निर्धारण/निराकरण करना जिन्हें शीघ्र दूर किया जा सकता हो

सुरक्षा में कमियों को दूर करने के लिए ओईएम के द्वारा उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैचेज का प्रयोग करना ।

सूचना सुरक्षा आडिट रिपोर्ट

- ***(प्रकृति - प्रलेखन)***

जैसा कि पहले दर्शाया गया है सूचना सुरक्षा आडिट रिपोर्ट में तीन उप रिपोर्टें होंगी :

सूचना सुरक्षा आडिट रिपोर्ट: विस्तृत निष्कर्ष : सूचना सुरक्षा आडिट का विस्तृत निष्कर्ष इस रिपोर्ट में होगा जिसके अंतर्गत सभी पहलू आएंगे अर्थात प्रवाह/संवेदनशीलता की पहचान, समाधान/सुधारात्मक उपायों हेतु सुझाव, भविष्य बचाव उपाय, किए गए कार्रवाई आदि।

सूचना सुरक्षा आडिट रिपोर्ट: ज्ञान का अंतरण : इसके अतिरिक्त, वेंडर आईएसए के दौरान संग्रहीत अनुभवों के आधार पर रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट में बैंडर द्वारा की गई ज्ञान अंतरण गतिविधियों, बैंक के कर्मचारियों से प्राप्त उत्तर और सूचना प्रौद्यौगिकी सुरक्षा जागरुकता और बैंक के कर्मचारियों की पठनीयता के बेडर के निर्धारण को भी विस्तार में अंतरित किया जाएगा।

रा.आ.अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री

- ***(प्रकृति - सेवा)***

वेंडर कोर्सवेयर तैयार करेगा और रा.आ.बैंक के अधिकारियों, प्रशासकों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ***(प्रकृति - सेवा)***

वेंडर रा.आ.बैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संकाय सहायता उपलब्ध कराके उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के विविध पहलुओं से अवगत कराएगा ।

सूचना सुरक्षा आडिट के लिए प्रमाणीकरण करना

o *(प्रकृति - प्रलेखन एवं सेवा)*

वेंडर सूचना सुरक्षा आडिट का प्रमाणीकरण रा.आ.बैंक को करेगा

प्रलेखन फार्मेट

- सभी दस्तावेजों की तीन प्रतियां, अच्छी किस्म के ए-4 आकार के कागज पर उपलब्ध कराएगा जो सुपाठ्य, स्वच्छ एवं मजबूत जिल्द में हों ।
- दस्तावेजों की सॉफ्टकापी एमएस वर्ड में हों जिन्हें हार्ड कापी (प्रत्येक दस्तावेज/प्रमाणपत्रों के तीन हार्ड कॉपी)व सीडी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
- सभी दस्तावेज सरल अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे ।

5. अनुबंध की अवधि

अनुबंध कार्य आदेश स्वीकृति से **3 वर्ष** तक (3 क्रमिक आईएस आडिट के लिए) वैध रहेगा किन्तु वार्षिक समीक्षा की जाएगी । यदि चयनित निविदाकर्ता की कार्य निष्पादकता को वार्षिक समीक्षा के दौरान अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया तो बैंक स्व निर्णयानुसार अनुबंध को निरस्त कर सकता है ।

6.आडिट अनुसूची

चयनित वेंडर द्वारा सेवा अनुबंध प्रस्तुत करने से 10 दिन के अंदर सूचना सुरक्षा आडिट करने के लिए रा.आ.बैंक नई दिल्ली में अपने कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा । परियोजना का चरण-I पूरा करने के लिए समय-सीमा 4-6 सप्ताह होगी और चरण-II के लिए 2-3 सप्ताह होगी । आईएसए के निष्कर्षों और सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा वेंडर (चरण-III) द्वारा की जाएगी । सूचना सुरक्षा आडिट पूरी होने के 1-2 माह बाद यह कार्य किया जाएगा और आडिट समीक्षा का प्रमाण-पत्र एक सप्ताह में जारी किया जाएगा।

7. दंड धारा

चरण-I और चरण-III में क्रमशः आडिट रिपोर्ट और आडिट अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी होने पर प्रति सप्ताह के आधार पर कुल अनुबंध राशि के 2% की दर से (चरण-I में देरी होने पर कार्य आदेश देने की तारीख से 8 सप्ताह और चरण-III में देरी होने पर कार्य आदेश देने की तारीख से 18 माह की गणना की जाएगी)

और अधिकतम 10% दंड राशि वसूली जाएगी । यदि विलम्ब 5 सप्ताह से अधिक हुआ तो अनुबंध/कार्य आदेश निरस्त किया जा सकता है और बैंक अनुबंध की अतिरिक्त 10% राशि ब्याज सहित दंड स्वरूप सम्पूर्ण अग्रिम राशि का वेंडर से दावा कर सकता है ।

8. बोली प्रक्रिया (दो चरण)

मौजूदा कार्य के लिए, दो चरण वाली बोली प्रक्रिया को अपनाया जाएगा । आरएफपी के प्रत्युत्तर में दो हिस्सों में बोली प्रस्तुत की जाएगी :

* तकनीकी बोली - भाग I
* वाणिज्यिक बोली - भाग II

बोलीकर्ता तकनीकी बोली और बोली का वाणिज्यिक भाग अलग-अलग दो भागों में लाल लाख से सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करेगा जिनके ऊपर ''**सूचना सुरक्षा आडिट**'', ''**तकनीकी बोली**'' या ''**वाणिज्यिक बोली**'', जो भी मामला हो, लिखा हो ।

तकनीकी बोली में मूल्य संबंधी या वाणिज्यिक कोई सूचना नहीं होगी तथापि वाणिज्यिक बोली को तकनीकी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

बोली टाइप की गई हो या अमिट स्याही से लिखी गई हो और उस पर बोलीकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हों । प्राधिकार संबंधी लिखित मुख्तारनामा बोली के साथ संलग्न हो । बोली दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर हों ।

बोली में कोई कांटछांट, मिटाया गया या ऊपर से लिखा हुआ आदि न हो सिवाय बोलीकर्ता द्वारा हुई किसी गलती को ठीक करने के लिए जरूरी हो, ऐसी स्थिति में सशोधनों पर बोलीदाता व्यक्ति/व्यक्तियों के आद्यक्षर होने चाहिए ।

9.भुगतान अनुसूची

भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा ।

क. कार्य आदेश स्वीकार करने पर वार्षिक अनुबंध राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान । अग्रिम भुगतान समान राशि की एक वर्ष की निष्पादकता बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा ।

वेंडर द्वारा अग्रिम भुगतान लेने के लिए प्रत्येक वर्ष समान राशि की नई निष्पादकता बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी जो संबंधित वित्त वर्ष के लिए सूचना सुरक्षा आडिट की होगी ।

ख. सूचना सुरक्षा आडिट पूरा होने और वित्त वर्ष की अंतिम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वार्षिक अनुबंध दर का 50 प्रतिशत ।

टिप्पणी : यदि चयनित वेंडर कार्य आदेश प्रस्तुत करने से एक माह के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करता है तो कुछ भी अग्रिम नहीं दिया जाएगा और संबंधित वर्ष की परियोजना पूरी होने के बाद वार्षिक आधार पर पूरा भुगतान किया जाएगा ।

10. बोली खोलना और मूल्यांकन

बैंक बोली दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित तारीख व समय और भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में तथा 'बोलियां प्रस्तुत करना' शीर्षक की धारा-11 में उल्लिखित स्थान पर तकनीकी बिड खोलेगा ।

इस अवसर पर उपस्थित बोलीकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति के साक्ष्य में रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे । यदि किसी कारणवश 'बिड ओपनिंग' के लिए घोषित तारीख पर बैंक में अवकाश घोषित किया जाता है तो यह बोली अगले कार्यदिवस पर उसी निर्धारित समय और स्थान पर खोली जाएगी ।

पहले चरण में सिर्फ तकनीकी बोली खोली एवं मूल्यांकित की जाएगी । बैंक की अपेक्षानुसार निर्धारित शर्तों व नियमों को पूरी तरह उपयुक्त पाये जाने वाले बोलीकर्ताओं की सूची बनायी जाएगी । दूसरे चरण में, सूची बद्ध किये बोलीकर्ताओं वाणिज्यिक बोली खोली जाएंगी । बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना किसी कारण के तकनीकी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है । इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी बोलीकर्ताओं को मान्य होगा ।

उन्हीं बोलीकर्ताओं की वाणिज्यिक बोली खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियों को बैंक उपयुक्त पाता है ।

10.1 बोली प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन मापदंड

विभिन्न फर्मों से प्राप्त की जाने वाली बोलियों का मूल्यांकन उनकी तकनीकी एवं वित्तीय युयोग्यताओं के आधार पर होगा।तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन पहले होगा और जिन फर्मों की तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित अहर्ताओं वाली पाई जाएंगी उन्हें वित्तीय बोली के दौर में जाने के योग्य माना जाएगा । जिस फर्म का तकनीकी एवं वित्तीय योग्यताओं का समेकित/संयुक्त योग सबसे अधिक होगा उस फर्म को परियोजना के लिए चुना जाएगा ।

तकनीकी बोली

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन का मापदंड एवं अंक प्रणाली निम्नानुसार है -

अधिकतम अंक - 100

	अंक मानदंड	अधिकतम अंक
1. सूचना सुरक्षा आडिट क्षेत्र में एक फर्म को कितने वर्षों का अनुभव है (इसे तभी माना जाएगा जब कम से कम दो उपभोक्ताओं के संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न होंगे)		अधिकतम अंक 20
क. 3 + 5 वर्ष ख. 5 + 7 वर्ष ग. 7 वर्ष से अधिक	07 15 20	
2.एक फर्म की सुयोग्ता सूचना सुरक्षा आडिट के रूप में उच्च आरोह्य ईआरपी वातावरण के अंतर्गत मानी जाएगी (उच्च आरोह्य ईआरपी पैकेज के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम माना जाएगा) (बोलीकर्ता को उपभोक्ताओं से इस क्षेत्र के संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे)		अधिकतम अंक 20
क. 3 से 4 ईआरपी पैकेज ख. 4 ईआरपी पैकेज से अधिक	10 20	
3.उपभोक्ताओं की सूची (केन्द्रीय डाटासेंटर में बोलीकर्ता द्वारा की गई सूचना सुरक्षा आडिट कार्य पर ही विचार किया जाएगा) (अंक प्रदान करने के लिए केवल वर्तमान वैध अनुबंधों पर (पिछले 5 वर्ष तक) विचार किया जाएगा)		अधिकतम अंक 20
• भारत में सरकारी क्षेत्र/पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थानों में 5 या अधिक वर्ष के लिए • भारत में सरकारी क्षेत्र/पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थानों में 3 या अधिक वर्ष के लिए • भारत में सरकारी क्षेत्र/पीएसयू/बैंक/वित्तीय संस्थानों में 3 या कम वर्ष के लिए • भारत में प्राइवेट उपभोक्त	20 10 05 00	
4.सूचना सुरक्षा आडिट संभालने वाली फर्म में कार्यरत योग्यता प्राप्त कर्मचारियों का विवरण । (निम्नलिखित व्यावसायिक योग्ताओं पर विचार कियाजाएगाः (सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/डीआईएसए/सीआईएसए/ सीआईएसएम)		अधिकतम अंक 20

• 150 से अधिक व्यावसायिक • 100 से 150 तक व्यावसायिक • 50 से 100 तक व्यावसायिक		20 15 10	
5. सूचना सुरक्षा आडिट/सॉफ्टवेयर आडिट क्षेत्र के अनुरक्षण हेतु आईएसओ प्रमाणन			
क) यदि हां ख) यदि न		10 00	अधिकतम अंक 10
6. पिछले 3 वर्ष में औसत कारोबार (केवल सूचना सुरक्षा आडिट के बारे में)			अधिकतम अंक 10
	10-15 करोड़ रुपये 15-30 करोड़ रुपये 30-50 करोड़ रुपये 50 करोड़ रुपये व अधिक	4 6 8 10	

बोलीदाताओं को उपरोक्त प्रत्येक मापदंड के लिए उपयुक्त समर्थन वाले अभिलेख प्रदान करने होंगे अन्यथा उनकी बोली रद्द कर दी जाएगी ।

तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम योग्यत अंक 75 होंगे ।

10.2 वित्तीय बोली

केवल तकनीकी बोली के अपेक्षित मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले बोलीकर्ताओं को वित्तीय बोली प्रक्रिया के चक्र में शामिल होने के योग्य माना जाएगा ।

वित्तीय बोली का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होगा :

- सबसे निम्नतम बोली का अधिकतम वित्तीय योग 100 अंक होगा ।
- अन्य वित्तीय बोलियों का वित्तीय योग न्यूनतम मूल्यांकित वित्तीय बोली के साथ तुलनात्मक रूप से निर्धारित किया जाएगा ।
- वित्तीय अंकों की गणना निम्न आधार पर की जाएगी :

$$\text{वित्तीय योग}_{\text{विचाराधीन बोली}} = \frac{100 \times \text{मूल्य}_{\text{निम्नतम बोली}}}{\text{मूल्य}_{\text{विचाराधीन बोली}}}$$

अंतिम प्रक्रिया

- प्रस्तावों को तकनीकी और वित्तीय अंकन, निम्नानुसार, से प्राप्त अंकों के आधार पर स्थान दिया जाएगा -

अंतिम कुल अंक = तकनीकी अंक x टी + वित्तीय अंक x एफ

(टी - तकनीकी बिड को दिये गए अंक, एफ - वित्तीय बिड को दिये गए अंक, टी+एफ = 1)

- बोलियों को दिये गये अंक इस प्रकार हैं:

I. तकनीकी बोली	टी	70%
II. वित्तीय बोली	एफ	30%
कुल अंक		100%

- जो बोलीदाता फर्म तकनीकी एवं वित्तीय योग के संयुक्त योग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगी उसे अंतिम समझौता वार्ता के लिए बुलाया जाएगा ।
- बैंक को यह अधिकार है कि वह मूल्यांकन मापदंड, प्रविधि तथा अंक वितरण एवं भारिता को संशोधित कर सकता है, यदि बैंक को ऐसा करना अनिवार्य लगता है ।

11. बोलियों का स्पष्टीकरण

बैंक अपने निजी विवेक से, बोलियों की जांच, मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन में सहायता हेतु, बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है तथा यह उत्तरलिखित में होगा जिसमें बोली में मूल्य या विषयवस्तु में किसी भी बदलाब, प्रस्ताव या अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. प्राथमिक जांच

बैंक सभी बोलियों की जांच पड़ताल कर यह निर्धारित करेगा कि वे परिपूर्ण हैं, कोई भी संगणनात्मक भूल तो नहीं हो गई है तथा बोलियों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई गई है या नहीं,या फिर सभी दस्तावेजों में उचित प्रकार से हस्ताक्षर आदि किए गए हैं या नहीं और बोली सामान्य रूप से क्रमबद्ध है या नहीं । यदि कोई बोली विनिर्देशों के अनुसार क्रमबद्ध नहीं पाई गई तो उसे बैंक अस्वीकार कर देगा ।

13. बैंक से सम्पर्क

यदि बोलीदाता द्वारा बैंक की बोली के मूल्यांकन, बोली के तुलनात्मक अध्ययन या निर्णय के बदलने को प्रभावित करने के बारे में बैंक से संपर्क स्थापना का कोई भी प्रयास किया जाता है तो बोलीदाता की बोली अस्वीकृत की जा सकती है । बैंक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी पक्ष सहमत होंगे ।

14. बैंक को कोई या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

बैंक के पास किसी एक या सभी बोलियों को या सालाना बोली प्रक्रिया को किसी भी समय या अनुबंध देने से पहले स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा जिसके लिए बैंक किसी बोलीदाता को कोई जबावदेही नहीं होगी और बैंक किसी भी बोलीदाता या प्रभावित बोलीदाता को सूचित करने की जिम्मेवारी नहीं होगी तथा बैंक की कार्यवाई के बारे में बोलीदाता को कोई भी तर्काधार प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है । बैंक अपनी विस्तृत अपेक्षाओं के कारण एक से अधिक बोलीदाताओं को चुनने का अधिकार रखता है ।

15. अनुबंध पर हस्ताक्षर

सफलतापूर्ण बोलीदाता(ओं) विक्रेता या बेंडर कहलाता है जिसे बैंक के साथ बोली/निविदा खलने के सात दिनों के भीतर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर सर्विसस लेबल करार (एसएलए) के अंतर्गत प्रविष्ट होने की आवश्यकता होती है।

--------XXX----------

परिशिष्ट 'क'

भाग - I : बोलीदाता के लिए सूचना

कृपया कंपनी के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान करें (यदि आवश्यक हो तो अलग से पत्रक लगाएं) ।

क्रम सं.	सूचना	विवरण/प्रत्युत्तर		
1	कंपनी का नाम			
2	स्थापना की तारीख			
3	कंपनी का मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय व पता सम्पर्क व्यक्ति फोन फैक्स ई-मेल वेबसाइट			
4	आपके द्वारा दी जा रही सेवाओं की रेंज/विकल्प जिसमें निम्न के लिये उपलब्ध सेवाओं व विभिन्न योजनाओं का विवरण दें - • सूचना सुरक्षा आडिट • ईआरपी पैकेज का आडिट • भारत में किसी बैंक/वित्त संस्थान में सूचना सुरक्षा आडिट	हां/नहीं/टिप्पणी (यदि विकल्प 'नहीं' हो)		
5	कोई लंबित/पिछला मुकदमा (तीन वर्ष के दौरान) । यदि हां, तो कृपया विवरण दें । पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त दावों व शिकायतों का ब्योरा भी दें (कंपनी या कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में)	हां/नहीं/टिप्पणी (यदि विकल्प 'नहीं' हो)		
6.	कृपया पिछले तीन वर्ष के दौरान कारोबार का उल्लेख करें तथा उसके साक्ष्य में तुलन पत्र की प्रति संलग्न करें ।	वर्ष	कारोबार	लाभ/हानि
		2008-09		
		2009-10		
		20010-11		

बोलीदाता के हस्ताक्षर

<u>भाग II - सेवा संबंधी सूचना</u>

क्रम सं.	**सेवा**	**संगठन का नाम जहां सेवाएं दी गईं**	**सेवा अवधि (सप्ताहों में)**
1	सूचना सुरक्षा आडिट		
2	ईआरपी पैकेज आडिट (पैकेज का नाम दर्शाएं)		
3	ईआरपी के अलावा बैंकिंग पैकेज का सूचना सुरक्षा आडिट		

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य एवं सही है, यदि बैंक मूल्यांकन के किसी भी चरण पर किसी विषय में कोई गलत उल्लेख पाता है तो बैंक को प्रस्ताव अस्वीकृत एवं प्रक्रिया से अयोग्य ठहराने का अधिकार होगा।

हम एतदद्वारा बिना शर्त स्वीकार करते हैं कि सूचना सुरक्षा आडिट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये वेंडरों की सूची बनाने हेतु आरएफपी में उल्लिखित मानदंडों तक ही सीमित न रहते हुए अपने निर्णयानुसार कोई भी मापदंड अपना सकते हैं।

हम यह भी सूचना अभिज्ञपित करते हैं कि यह बिड, बिड जमा करने की अंतिम तारीख से 6 माह तक सूची तैयार करने के लिये वैध रहेगी ।

वेंडर के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

भाग - III

यह पत्र बिड दस्तावेजों के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए

सेवा में,

महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
मुख्य कार्यालय
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110 003

महोदय,

विषय : बैंक हेतु सूचना सुरक्षा आडिट के लिए हमारी बिड

हम अपने बिड दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं ।

यदि हमारी बिड उक्त कार्य के लिए स्वीकार की जाती है, तो हम वचन देते हैं कि जब कभी बैंक द्वारा निर्दिष्ट फार्म पर संविदा के लिए बुलाया जाता है तो हम उसे अपने व्यय पर निष्पादित करेंगे । जब तक एक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं हो जाती है, तब तक यह बिड एवं आपकी लिखित स्वीकृति हमारे बीच संविदा के रूप में होगी ।

हम समझते हैं कि यदि हमारी बिड स्वीकार कर ली जाती है, तब हम संयुक्त रूप से और पृथक आधार पर संविदा निष्पादित करने के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

हम समझते हैं कि आप प्राप्त किसी भी निम्नतम या अन्य बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और आप सभी या किसी एक बोली को अस्वीकार कर सकते हैं, आप समग्र कार्य किसी एक वेंडर या कई वेंडरों के बीच कार्य को बांट कर बिना कोई कारण या स्पष्टीकरण दिये बिना, सौंप सकते हैं ।

हम समझते हैं कि प्रथम चरण (तकनीकी बिड) पूरा होने के बाद सूचीबद्ध बोलीदाताओं के नाम और सफल बोलीदाता का नाम जिसे दूसरा चरण (वाणिज्यिक बोली) पूरा होने के बाद अंतिम रूप से संविदा सौंपा गया, बोलीदाताओं को या तो फोन पर/ई-मेल/पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा

दिनांकः दिन माह 200

भवदीय,

कृते ----------

हस्ताक्षर ----------

नाम ----------

पता ----------

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुलग्नक - ख

अनुपालन विवरणी

घोषणा

नियम एवं शर्तें

हम एतद द्वारा वचन देते हैं और बैंक द्वारा इस आरएफपी में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों तथा अन्य सभी परिशिष्टों, शुद्धिपत्रों आदि का पालन करने के लिये सहमत हूं । (कोई भी विचलन होने पर बिड से अयोग्य किया जा सकता है) ।

हस्ताक्षर

कंपनी की मुहर

<u>तकनीकी विनिर्देश</u>

हम सत्यापित करते हैं कि हमारे द्वारा निविदा के लिए उपलब्ध सिस्टम/सेवाएं आपके द्वारा निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप हैं सिवाय निम्नलिखित विचलन के -

विचलनों की सूची

1) ----------

2) ----------

3) ----------

4) ----------

(यदि इन्हें रिक्त छोड़ा जाएगा तो यह समझा जाएगा कि उक्त उल्लिखित विनिर्देशों से कोई विचलन नहीं है)

हस्ताक्षर:

कंपनी की मुहर

अनुबंध 'ग'

वाणिज्यिक बोली के लिए फार्मेट

क्रम सं.	विवरण	राशि/दर (रुपये में)
1	सूचना सुरक्षा आडिट • प्रथम वर्ष के लिए • दूसरे वर्ष के लिए • तीसरे वर्ष के लिए	
कुल		

(क) बोलीदाता को अपनी वाणिज्यिक बोली केवल उपर्युक्त फार्मेट में ही जमा करनी है । सभी कर एवं शुल्क शामिल हैं ।

वित्तीय अंकों की गणना के लिए, कुल राशि/दर पर विचार किया जाएगा ।

टिप्पणी: इस फार्मेट के अतिरिक्त किसी अन्य में प्रस्तुत वाणिज्यिक बोली को अस्वीकार किया जा सकता है ।

अनुबंध - घ

पूर्व योग्यता मापदंड

बोलीदाताओं को निम्नलिखित पूर्व योग्यता मापदंडों को भी पूरा करना होगा :

i) बोलीदाता कंपनी (न कि मूल कंपनी) का पिछले तीन वित्त वर्षों में औसत कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) ।

ii) सीईआरटी में सूचीबद्धता - सूचना सुरक्षा आडिट संगठन के रूप में

iii) बोलीदाता कंपनी में कम से कम 50 अर्हता प्राप्त (सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/डीआई सीए/सीआईएसएम) सूचना सुरक्षा आडिट व्यावसायिक होने चाहिए ।

iv) बोलीदाता को सूचना सुरक्षा आडिट में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उन्होंने यह अनुभव लगभंग 3 संगठनों में प्राप्त किया हो ।

टिप्पणी: बोलीदाता उपर्युक्त मानदंडों में अर्हता सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें ।